



राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृतशिक्षाराजस्थानजयपुर
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षासंकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर



☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक :- निसंशि/संस्था-2(ख)/पं.स्थाना./2022/ 36942-971

दिनांक 20/12/2022


-:: आदेश ::-

निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विषय	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	T.A./D.A. Applicabl e
1	मंजीलाल रैगर	प्राध्यापक	हिन्दी	रावरिउपासंवि रीछमाताफला, झूजरपुर	रावरिउपासंवि, उदयपुर में रिक्त पद पर	NO
2	मोनिका भौर्य	प्राध्यापक	अंग्रेजी	रावरिउपासंवि महापुरा, जयपुर से स्थानान्तरणाधीन रावरिउपासंवि नारायणपुर, अलवर	निरस्त कर यथावत	No
3	रमेश चन्द्र डोडियार	प्राध्यापक	हिन्दी	रावरिउपासंवि सिल्विया, घाटोल, बांसवाडा	रावरिउपासंवि बांसवाडा में मुकेश दोसी के स्थान पर	No
4	मुकेश दोसी	प्राध्यापक	हिन्दी	रावरिउपासंवि बांसवाडा	रावरिउपासंवि सिल्विया, घाटोल, बांसवाडामें मे रमेश चन्द्र डोडियार के स्थान पर	No
5	रणजीत कुमार	प्राध्यापक	व्याकरण	कार्यालय संभागीय शिक्षा अधिकारी, बीकानेर संभाग, चूरु से रा.वरि.उपा.सं. वि. लूदी झायर, चूरु स्थानान्तरणाधीन	कार्यालय संभागीय शिक्षा अधिकारी, बीकानेर संभाग, चूरु	No
6	ललिता गुप्ता	प्राध्यापक	साहित्य	रावरिउपासंवि नारदपुरा, बस्सी, जयपुर	रावरिउपासंवि रामसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर में इन्दिरा जारवाल के स्थान पर	No
7	इन्दिरा जारवाल	प्राध्यापक	साहित्य	रावरिउपासंवि रामसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर	रावरिउपासंवि नारदपुरा, बस्सी, जयपुर में ललिता गुप्ता के स्थान पर	Yes

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- राजस्थान स्वेच्छ ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।


(डॉ. भास्कर शर्मा)

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर



राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृतशिक्षाराजस्थानजयपुर
द्वितीय तल, ब्लॉक 8, शिक्षासंकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक :- निसंशि/संस्था-2(ख)/पं.स्थाना./2022/ 36942-971 दिनांक 20/12/2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. शाला दर्पण प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित संकुल प्रभारी/संस्था प्रधान।
8. संबंधित कार्मिक।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर